न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 59/2019

अनवान :

1. भंवरलाल पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. श्योलगिर पुत्र नोपगिर उर्फ नोपा जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बनवारीलाल पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. श्यामलाल पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रामजस पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. माधकुमार पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. जमना
7. मोहनी
8. सन्तोष
9. सुमित्रा

   जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा मलसीसर तहसील भादरा
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**
वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9**
निर्णय **दिनांक :** 30-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के वर्तमान खाता सं0 79/79 के खसरा सं0 202/156 की 2.074 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योलगिर वल्द नोपगिर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा रामपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 98/89 के खसरा सं0 82/2 की 2.074 है0 खसरा सं0 85/3 की 8.751 है0 कुल 10.825 है0 बारानी खातेदारी भी प्रतिवादी श्योलगिर वल्द नोपगिर के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा नोपगिर की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा नोपगिर के देहान्त होने पर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्सा के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी श्योलगिर कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि की दादालाई जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 ता 38 की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है।

वाद भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण जमना व मोहनी ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया था तथा प्रतिवादी सन्तोष एवं सुमित्रा ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी श्योलगिर के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 को 7/10 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार एवं प्रतिवादी श्योलगिर को 3/10 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वाद भूमि तन्हा प्रतिवादी श्योलगिर के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। प्रतिवादी श्योलगिर ने वादभूमि को पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर के रहन करवा रखी है। इसलिए उक्त बैंक को जरिये शाखा प्रबन्धक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु होते है। वादभूमि पहले वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज नोपा उर्फ नोपगिर की खातेदारी हुआ करती थी जो नोपा उर्फ नोपगिर के देहान्त होने पर वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी, जिसका विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी श्योलगिर के नाम से कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज चला आ रहा है। वाद भूमि में मिन प्रतिवादीगण जमना व मोहनी ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 को वादभूमि में 7/10 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादी सन्तोष व सुमित्रा ने वादभूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिससे वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 श्योलगिर को 3/10 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी। प्रतिवादी सं0 10 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 11 पेशकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 भंवरलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रति जमाबन्दी ग्राम घोटड़ापट्टा खाता सं0 79/79 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबन्दी ग्राम रामपुरा के खाता सं0 98/89 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम रामपुरा सम्वत् 2029 से 38

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

प्रदर्श 3 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा पट्टा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। हम पक्षकारान का पारिवारिक सैटलमेंट हो चुका है। पारिवारिक सैटलमेंट के अनुसार वाद डिक्री किये हेतु सभी पक्षकार सहमत है।

वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 ने अपनी बहस में जबाबदावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु होते है। वादभूमि पहले वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज नोपा उर्फ नोपगिर की खातेदारी हुआ करती थी नोपा उर्फ नोपगिर के देहान्त होने पर प्रतिवादी श्योलगिर के नाम से कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज हुई है। वाद भूमि में प्रतिवादीयागण जमना व मोहनी ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 को वादभूमि में 7/10 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादी सन्तोष व सुमित्रा ने वादभूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिससे वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 श्योलगिर को 3/10 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी।

हमारे द्वारा वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम घोटड़ा पट्टा व रामपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

वादी ने दावा में वाद कृषि भूमि को दादालाई कृषि भूमि होना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम रामपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा पट्टा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा नोपा, नोपसिंह वल्द मामराज के नाम से दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में शोलगिर के वारिसान में पत्नी राजकौरी, पाँच पुत्र भंवरलाल, बनवारीलाल, श्यामलाल, रामजस, माधकुमार व चार पुत्रियां जमना देवी, मोहनी देवी, संतोष देवी, सुमित्रा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है तथा प्रतिवादीयागण जमना, मोहनी, सन्तोष व सुमित्रा ने अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीया जमना व मोहनी ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादीया संतोष व सुमित्रा ने वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है। वादी के दावा को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ है। इस प्रकार दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी डिक्री योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के वर्तमान खाता सं0 79/79 के खसरा सं0 202/156 की 2.074 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योलगिर वल्द नोपगिर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा रामपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 98/89 के खसरा सं0 82/2 की 2.074 है0 खसरा सं0 85/3 की 8.751 है0 कुल 10.825 है0 बारानी खातेदारी भी प्रतिवादी श्योलगिर वल्द नोपगिर के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 श्योलगिर के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 संयुक्त रूप से 7/10 हिस्सा के व प्रतिवादी श्योलगिर 3/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 6 ता 9 अपने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्य व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादीगा सं0 2 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से 7/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 श्योलगिर के नाम 3/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 59/2019

अनवान :

1. भंवरलाल पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. श्योलगिर पुत्र नोपगिर उर्फ नोपा जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बनवारीलाल पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. श्यामलाल पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रामजस पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. माधकुमार पुत्र श्योलगिर जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. जमना
7. मोहनी
8. सन्तोष

} जाति गुसाई निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

9. सुमित्रा
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा मलसीसर तहसील भादरा
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के वर्तमान खाता सं0 79/79 के खसरा सं0 202/156 की 2.074 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योलगिर वल्द नोपगिर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा रामपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 98/89 के खसरा सं0 82/2 की 2.074 है0 खसरा सं0 85/3 की 8.751 है0 कुल 10.825 है0 बारानी खातेदारी भी प्रतिवादी श्योलगिर वल्द नोपगिर के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 श्योलगिर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 संयुक्त रूप से 7/10 हिस्सा के व प्रतिवादी श्योलगिर 3/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 6 ता 9 अपने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्य व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादीगा सं0 2 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से 7/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 श्योलगिर के नाम 3/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारेठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:17:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: